SHRI H. R. GOKHALE : On the last occasion, if I remember right, the number was 14 and 7 which was accepted. If the membership is 21 both the Houses put together can represent all the parties. Ultimately it is nomination of members by the Speaker. I cannot give any further assurance. The Speaker will take care about the interests that are to be represented.

MR. SPEAKER : That too will be a big headache for me.....(*Interruptions*)

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : The division of the membership should not be on the basis of the strength here because it is a question of amending the election law. The ruling party should not claim that they should get representation according to their strength. Otherwise the other parties will not get proper representation.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : What is your ruling on this—20 and 10; otherwise it will give you headache.

MR. SPEAKER : So far as the number is concerned, it is 14 from this House and seven to be nominated. That will be amended accordingly. The earlier part in para 3 is deleted and the latter part is retained. Report is to be made within one month. Minister has given the assurance that the time should be extended if needs be.....(*Interruptions*). It comes to the same thing. It will be of no use if report is not applied to the coming elections.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : The report has to be considered by the Government and a Bill will have to be framed and the House will have to consider that Bill. How can the Bill be considered during this session ? To prescribe one month is ridiculous.

SHRI H. R. GOKHALE : With all respect to the hon. Members I may point out that in case the committee is not in a position to finish the work, they can ask for more time. But surely the intention is to have their report. If that is the intention, at that time if the need arises, the question of extending the time can certainly be considered. Nobody wants to scuttle it without a report of the Committee.

MR. SPEAKER : These are the changes to the motion moved by Shri Nitiraj Singh Chaudhary. In the second para, instead of 15 members it will be 21 members, 14 from this House and 7 from the other House. Then, there is the deletion of the earlier part as I have mentioned earlier, that is "The Speaker, if he agrees".....up to "otherwise". With this deletion, and with the consequential amendment in the last paragraph—seven Members will be nominated—and the report to be made within one month, I shall put the motion, mentioned against item No. 7, as amended.

The question is :

"That the question of amendments to election law in the context of the debates in the Lok Sabha in the course of supplementaries to Starred Question No. 580 answered on the 25th August, 1970, he referred to a Joint Committee of the Houses for examination and report with instructions to report within one month ;

That the Committee shall consist of 21 Members, 14 from this House to be nominated by the Speaker and 7 from the Rajya Sabha to be nominated by the Chairman, Rajya Sabha ;

That the Speaker shall mominate one of the members of the Committee to be its Chairman ;

That in order to constitute a sitting of the Joint Committee, the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee ;

That in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make ; and

That the House recommends to the Rajya Sabha that the Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of 7 members nominated to the Joint Committee by the Chairman of the Rajya Sabha".

The motion, as amended, was adopted.

12.51 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE. DELHI SIKH GURDWARAS (MANAGEMENT) ORDINANCE ; AND DELHI SIKH GURDWARAS (MANAGEMENT) BILL

MR. SPEAKER : We now take up items 8 and 9 together. Shri Atal Bihari Vajpayee to move the resolution.

AN HON. MEMBER : What is the time allotted ?

MR. SPEAKER : There is no lunch hour from today. I have already forewarned yesterday that we will continue to sit during the coming one month, without having any lunch hour. (*Interruption*)

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam) : For one month we are going to sit without lunch, and yet the Minister wants the report within one month.

MR. SPEAKER : We can utilise the night also if you like. (*Interruptions*)

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior) : The dividing line between hunger and anger is very thin. (*Interruption*)

MR. SPEAKER : Nothing wrong. You are quite free at night.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 20 मई, 1971 को प्रख्यापित दिल्ली सिख गुरुद्वारा (प्रबन्ध) अध्यादेश, 1971 (1971 का अध्यादेश संख्या 9) का अनुमोदन करती है।"

अध्यक्ष महोदय, यह अध्यादेश 20 मई को जारी किया गया था। संसद की बैठक 24 मई से आरम्भ होने वाली थी । यदि सरकार संसद की बैठक के लिए रुक जाती तो कोई आसमान नहीं टूट जाता । वर्तमान सरकार में यह प्रवृत्ति दिखाई देती है कि वह अध्यादेशों के द्वारा राज्य करना चाहती है। एक विशेष परिस्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। किन्तु उस अधिकार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।

इस अध्यादेश के सम्बन्ध में मेरी एक वैधानिक आपत्ति भी है । यह अध्यादेश जब जारी किया गया तो इसके बारे में दिल्ली प्रशासन से सलाह नहीं ली गई। दिल्ली में एक एग्जीक्यूटिव कौंसिल है जिसमें जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि दिल्ली का प्रशासन चलाते हैं। दिल्ली की एक मेट्रोपोलिटन कौंसिल है जो स्थानान्तरित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है । अध्यक्ष महोदय, यदि आप पार्लियामेंट द्वारा पारित दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, 1966 के अनुच्छेद 22 को देखें तो आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि इस तरह का अध्यादेश जारी करने से पहले दिल्ली की मेट्रोपोलिटन कौंसिल से विचार विमर्श किया जाना चाहिए था । मैं अनुच्छेद 22 को उद्धृत कर रहा हूं :

"Subject to the provisions of this Act, the Metropolitan Council shall have the right to discuss and make recommendations with respect to the following matters in so far as they relate to Delhi, *viz.*,

(a) proposals for undertaking legislation with respect to any of the matters enumerated in the State List or Concurrent List in the Seventh Schedule to the Constitution, in so far as any such matter is applicable in relation to Union Territory, hereinafter referred to as the State List and Concurrent List."

श्री गोखले हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, वे विधिवेत्ता हैं, कानून के ज्ञाता हैं, उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि अध्यादेश जारी करने से पहले दिल्ली की मेट्रोपोलिटन कौंसिल को विचार विनिमय का अवसर न देने के कारण यह अध्यादेश वैध नहीं कहा जा सकता। मेट्रोपोलिटन कौंसिल के अधिकारों का विवरण इस संसद ने तय किया है। इस संसद ने निश्चित किया है कि कानकरेन्ट लिस्ट के बारे में, स्टेट लिस्ट के बारे में दिल्ली की मेट्रोपोलिटन कौंसिल विचार करेगी और अपनी सिफारिशें देगी। लेकिन अगर सरकार पहले से निर्णय ले लेगी, किसी विषय पर अध्यादेश जारी कर देगी और अध्यादेश को एक निश्चित अवधि के भीतर कानून का रूप लेना चाहिए, इस आधार पर संसद में कानून पेश करेगी तो दिल्ली मेट्रोपोलिटन कौंसिल से विचार विनिमय करने के लिए समय नहीं रहेगा। मैं जानना चाहता हूं इस मामले में दिल्ली मेट्रोपोलिटन कौंसिल की उपेक्षा क्यों की गई । विधि मंत्री यह नहीं कह सकते कि जहां तक गुरुद्वारों के प्रबन्ध का प्रश्न है वह एग्जीक्यूटिव कौंसिल का प्रश्न नहीं है। मैं उनका ध्यान दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर श्री ए० एन० झा द्वारा जारी किए गए एक नोटिफिकेशन

की ओर दिलाना चाहता हूं। उस नोटिफिकेशन में ला ऐंड जुडिशियल कमेटी के अन्तर्गत यह लिखा हुआ है :

"charitable endowments, Muslim wakfs, Sikh Gurdwaras and temples"

ये विषय दिल्ली प्रशासन को स्थानान्तरित कर दिए गए हैं। इन विषयों के बारे में अगर केन्द्रीय सरकार कोई कदम उठायेगी तो उसे दिल्ली प्रशासन से सलाह करनी चाहिए। यह सलाह नहीं की गई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप इस कानूनी मुद्दे पर अपना फैसला दें। दिल्ली मेट्रोपोलिटन कौंसिल से विचार विनिमय किए बिना यह अध्यादेश जारी करना और इस अध्यादेश को कानून का रूप देने के लिए यहां विधेयक लाना इस पार्लियामेंट द्वारा पारित किए गए कानून के खिलाफ है और मैं नहीं समझता पार्लियामेंट कोई गैर कानूनी काम करना चाहेगी। इस मामले को अगर अदालत में चुनौती दी गई तो यह सदन और अध्यक्ष महोदय आप कठिनाई में पड़ सकते हैं।

13 hrs.

प्रश्न यह है कि अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? जो विधेयक पेश किया गया है उसके उद्देश्यों में कहा गया है कि शीशगंज गुरुद्वारे को लेकर संघर्ष प्रारम्भ हो गया। कुछ लोगों ने उसपर जबर्दस्ती कब्जा कर लिया। दर्शन करने वाले भीतर नहीं जा सके और गुरुद्वारा हथियारबन्द लोगों के कब्जे में आ गया। लेकिन यह स्थिति पहली बार तो पैदा नहीं हुई हैं। 10 जनवरी, 1971 को इसी तरह की विषम परिस्थिति पैदा हुई थी, केवल शीशगंज गुरुद्वारा नहीं, गुरुद्वारा रकाबगंज पर भी सशस्त्र लोगों ने हमला करके कब्जा कर लिया था लेकिन उस समय पुलिस ने हस्तक्षेप किया और जिन्होंने अनधिकृत अबैध कब्जा किया था उनके चुंगल से गुरुद्वारा मुक्त कर दिया। गुरुद्वारे का प्रबंध फिर से यहां की गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटी को सौंप दिया गया 10 जनवरी को जब शीशगंज और रकाबगंज गुरुद्वारा साहब पर हथियारबंद लोगों ने कब्जा किया था तब कोई अध्यादेश जारी नहीं किया गया था।

मैं जानना चाहता हूं उस समय केन्द्रीय सरकार ने कदम क्यों नहीं उठाया ; और अगर उस समय कदम नहीं उठाया तो क्या इस समय चार दिन के लिए जब संसद की बैठक होने वाली थी क्या सरकार रुक नहीं सकती थी ? मेरा आरोप है कि इस बार कदम उठाने का कारण राजनीतिक है। परिस्थितियां 6 मई को भी वही थीं जो 10 जनवरी को थीं। हथियार बन्द लोग उपद्रव करने पर अमादा थे। लेकिन 10 जनवरी को सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि सरकार लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में अपने दल के लिए सिख बन्धुओं के वोटों की आशा कर रही थी और इसलिए गुरुद्वारे खाली करा लिये गये, गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी को सौंप दिये गये। 6 मई को भी यही तरीका अपनाया जा सकता था। लेकिन इस के बीच में एक घटना हो गयी थी 2 मई को दिल्ली कोरपोरेशन के चुनाव थे और उसमें सिख बन्धुओं ने जैसा कांग्रेस का लोक सभा में समर्थन किया था वैसा नहीं किया। उन्होंने लोक सभा के चुनाव में कांग्रेस को जो समर्थन दिया था उसे वापस ले लिया। जगह जगह कांग्रेस के विरोध में मत डाले। और इसलिए सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया। गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी को गुरुद्वारों के प्रबन्ध से हटा दिया।

अध्यक्ष महोदय, विधि मंत्री कह सकते हैं कि 17 मई को हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है हमने उसके अनुसार काम किया है। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले में एक विकल्प यह भी बताया गया था कि सरकार दूसरा तरीका अपनाये और उस तरीके का हाई कोर्ट ने हवाला भी दिया है। मैं जानना चाहता हूं वह तरीका क्यों नहीं अपनाया गया ? मैं हाई कोर्ट के निर्णय का एक हिस्सा उद्धृत करना चाहता हूं :

"If that is not done in the context and do not resolve the differences the possible remedy may be to bring in the needed

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

legislation so that the interests of the general public who are the beneficiaries of these trusts can be protected".

यह हाई कोर्ट की सलाह थी । लेकिन केन्द्रीय सरकार ने जो परस्पर विरोधी दावे करने वाले पक्ष थे उनको एक साथ लाने का प्रयत्न नहीं किया । केन्द्रीय सरकार ने हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार इस बात की भी कोशिश नहीं की कि जो हाई कोर्ट ने दूसरा विकल्प सुझाया था उसका आचरण करें । मैं उसको उद्धृत करना चाहता हूं श्री गोखले के वक्तव्य का यह एक अंश है :

"चूंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 92 के अधीन उचित रूप से लाये गये वाद द्वारा विवाद के निपटारे का जो विकल्प व्यक्त किया था वह सिख समुदाय में विद्यमान तनावपूर्ण वातावरण में उपयुक्त नहीं समझा गया ।"

हाई कोर्ट के निर्णय पर सरकार ने अपनी टिप्पणी दी । हाई कोर्ट ने एक और तरीका सुझाया था मगर सरकार ने कहा इस से तनाव दूर नहीं होगा । तनाव दूर होगा या नहीं इस पर हाई कोर्ट भी विचार कर सकता था । उसने किया था । लेकिन सरकार गुरुद्वारों के प्रबन्धक में हस्तक्षेप करना चाहती थी इसलिये उसने यह अध्यादेश जारी किया । गुरुद्वारों में गड़बड़ चले कोई इसका समर्थन नहीं कर सकता । गुरुद्वारों के धन का दुरुपयोग किया जाय इसकी निन्दा करनी होगी । और इसी लिए पंजाब में एक गुरुद्वारा प्रबन्ध के लिए कानून बना हुआ है । उस कानून के अनुसार दिल्ली में भी कानून बनाया जा सकता था । दिल्ली में कानून बनाने का विचार हो रहा है, और मुझे जानकारी है कि गृह मंत्रालय के जौइंट सेक्रेटरी, श्री ए० एन० पांडे ने 14 अप्रैल को दिल्ली के उप-राज्यपाल को एक पत्र लिखा था जिसमें यह कहा गया था आप कानून बनायें, दिल्ली मेट्रोपालिटन काउन्सिल उस पर विचार करें और फिर संसद उस कानून को पारित कर सकती है । लेकिन जो जल्दबाजी की गयी उसका कारण राजनीतिक था ।

और आप देखें दिल्ली के गुरुद्वारों का प्रबन्ध करने के लिए जो सदस्य मनोनीत किये गये हैं वह सब सत्तारूढ़ दल से संबंधित हैं । सरदार जोगेन्दर सिंह, हमारे मित्र हैं, मगर बहराइच से आते हैं । दिल्ली के गुरुद्वारों से उनका क्या सम्बन्ध है ? वह बोर्ड के चेयरमैन हैं । वह कांग्रेस के सम्मानित सदस्य हैं ।

अध्यक्ष महोदय : बड़ी मुश्किल में पड़ गये आप । आपकी पार्लियामेंट के मेम्बर ही हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेम्बर हैं तो क्या हुआ । हैं तो कांग्रेसी । संसद में हैं इसीलिये सम्मानित सदस्य कह रहा हूं ।

दूसरे सदस्य हैं सरदार रणजीत सिंह जी, जो संगरूर के हैं । उनका भी दिल्ली से दूर का सम्बन्ध नहीं है । वह भी लोक सभा के चुनाव में पराजित हो चुके हैं और पराजित हुए थे सरदारनी निरलेप कौर से । मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूं उन्होंने हथियार बन्दों का नेतृत्व करके शीशगंज गुरुद्वारे पर कब्जा कर लिया । मगर एक ओर से कब्जा करने वाली सरदार निरलेप कौर और दूसरी ओर उनसे पराजित होने वाले सरदार रणजीत सिंह हैं जो बोर्ड में शामिल हैं ।

अध्यक्ष महोदय : दोनों को सरदार मत कहिये । एक सरदारनी है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपका यह सुझाव मुझे स्वीकार है ।

तीसरे सदस्य हैं सरदार प्रीतम सिंह । वह भी कांग्रेस से संबंधित हैं । वह पंजाब की कांग्रेस पार्टी के जो नेता मेजर हरिन्दर सिंह के दामाद होते हैं । चौथे सदस्य दिल्ली के भाई मोहन सिंह हैं जो दिल्ली नगरपालिका में सरकार द्वारा नामजद हैं । एक टिक्का जगजीत सिंह बेदी हैं, ओ मुझे बताया गया है पुराने महन्तों की परम्परा में हैं, जिनके चंगुल से गुरुद्वारे मुक्त करने की लड़ाई, आजादी की लड़ाई का एक हिस्सा बनी थी । मैं जानना चाहता हूं कि इस बोर्ड में जी

नियुक्तियां की गई हैं वे नियुक्तियां क्या अपने दल के लोगों को पुरस्कृत करने के लिए की गयी हैं ? क्या कोई भी गैर-कांग्रेसी नहीं मिला जो इस बोर्ड में लिया जा सकता था ? क्या बोर्ड में नियुक्तियां करने से पहले दिल्ली प्रशासन से सलाह नहीं ली जा सकती थी ? क्या यह आवश्यक है बोर्ड का चेयरमैन दिल्ली से बाहर का एक व्यक्ति बनाया जाता ? बोर्ड की सदस्यता इस बात को सिद्ध करती है कि गुरुद्वारों में राजनीतिक हस्तक्षेप करने के लिए यह अध्यादेश लाया गया, इस तरह का बोर्ड बनाया गया है।

अध्यक्ष जी, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो पंजाब का गुरुद्वारा प्रबन्ध ऐक्ट है उसको पूरा का पूरा दिल्ली में लागू नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है ? सिख कौन है इसकी परिभाषा बदली जा रही है। बोर्ड के सदस्य कौन होंगे, उनमें कौन सी योग्यता होनी चाहिए इसमें भी परिवर्तन कर दिया गया है। अध्यक्ष जी, आप स्वयं उसी महान धर्म को मानने वाले हैं जिसने इस देश को संकट के काल में बचाया, हिन्दू समाज की तलवार के रूप में खड़ा रहा। आप भी उन 10 गुरुओं में श्रद्धा करने वाले हैं जिनके चरणों में हमारा मस्तक आदर से नत होता है। लेकिन हम यह चाहेंगे कि गुरुद्वारों के प्रबन्ध के लिये जो कमेटी बने उसमें ऐसे लोग रहें जो सिख धर्म के ज्ञाता हों, जो उसमें निष्ठा रखने वाले हों।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं :

> "The Board shall consist of five members being citizens of India".

यह जरूरी नहीं है कि वह दिल्ली का रहने वाला हो। गुरुद्वारे दिल्ली में है, गुरुद्वारा में जाने वाले दिल्ली में रहते हैं। प्रबन्ध मगर दिल्ली से बाहर के लोगों के हाथ में सौंपा जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि यह व्यवस्था क्यों की गई। यह सभी भारतीय नागरिक हैं। किन्तु क्या दिल्ली में गुरुद्वारों का प्रबन्ध ठीक करने वाले लोग नहीं है। क्या दिल्ली की जनता पर सत्तारूढ़ दल का विश्वास नहीं रहा ?

लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूं :

> "to be nominated by the Central Govt. from among persons having knowledge or practical experience in respect of such matters as the following, namely, social service, public affairs, management of public institutions, finance or law".

यह कहीं नहीं लिखा है कि वह गुरुधर्म में, सिख धर्म में विश्वास रखने वाला हो, गुरुओं के प्रति निष्ठा रखने वाला हो, गुरुवाणी को समझने वाला हो। यह व्यवस्था पंजाब के ऐक्ट में की गई है। मैंने जितना पढ़ा है उतना ही बतला सकता हूं।

श्री बरबारा सिंह (होशियारपुर) : बाकी भी बतलाइये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बाकी आपके लिए छोड़ता हू।

मैं समझने में असमर्थ हूं कि पंजाब के ऐक्ट को, जो सरकार द्वारा बनाया गया, ज्यों का त्यों दिल्ली में लागू करने में क्या कठिनाईयां थीं ? सिख कौन होगा, इसकी परिभाषा बदली गई। उस परिभाषा को बदलने का कारण क्या है ? बोर्ड के सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसमें भी परिवर्तन किया गया। इस परिवर्तन का आधार क्या है ? मै चाहता हूं कि गुरुद्वारों का प्रबन्ध ठीक से चले, लेकिन गुरुद्वारों को राजनीति का अखाड़ा बनाना, सत्तारूढ व्यक्तियों को उसका प्रबन्ध करने वाले संचालन बोर्ड में डालना यह सिख धर्म में हस्तक्षेप माना जा सकता है। इसकी गम्भीर प्रतिक्रिया हो सकती है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि वह इस तरह की गलती न करे।

मैं आखिरी बात कह कर समाप्त कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे कहूंगा कि बिल के क्लाज 2 के पार्ट (बी) को देख लीजिए ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : वह तो सिख की डेफिनिशन के सम्बन्ध में है । उसके बारे में भी मेरी शिकायत है । डेफिनिशन में गुरुद्वारा प्रबन्धक ऐक्ट की पूरी डेफिनिशन नहीं ली गई ।

अध्यक्ष महोदय : दिल्ली में रहने का कुछ फायदा तो हो ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : यह दिल्ली या पंजाब का सवाल नहीं है, गुरुद्वारों के प्रबन्ध का सवाल है । क्या विधि मंत्री इस स्थिति में हैं कि बतला सकें कि चुनाव के आधार पर गुरुद्वारों का प्रबन्ध करने की कमेटी का निर्माण दिल्ली में कब होगा ? यह जो ऐक्ट लाया जा रहा है वह निर्वाचन का कोई प्रावधान नहीं करता । यह सरकार द्वारा नामजद बोर्ड को लोगों के ऊपर थोपता है । क्या गुरुद्वारों का प्रबन्ध सिख धर्म के मानने वाले लोगों के मतदान से नहीं चलना चाहिए ? क्या बोर्ड में नियुक्त होने वाले दिल्ली के सिखों के विश्वास प्राप्त व्यक्ति नहीं होने चाहिये ? यह नामजदगी कब तक चलेगी ? विधि मंत्री आश्वासन दें कि तीन महीनों के भीतर चुनाव कराये जायेंगे, और जनता द्वारा निर्वाचित मतदाताओं द्वारा निर्वाचित बोर्ड को गुरुद्वारों का प्रबन्ध सौंप दिया जायेगा । विधेयक में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं हैं, इससे आशंका दृढ़ होती है कि सरकार ने केवल राजनीतिक कारणों से हस्तक्षेप कर रही है, बल्कि गुरुद्वारों पर अपना शिकंजा बनाये रखना चाहती है । और मतदाताओं को चुनाव से वंचित करना चाहती है । यह चीज असन्तोष पैदा करने वाली है और इसका निराकरण होना चाहिए ।

मैं चाहूंगा कि विधि मंत्री महोदय सभी मुद्दों का सफाई से उत्तर दें । प्रश्न केवल इस सदन तक ही सीमित नहीं है । इस प्रश्न के साथ लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं । उन भावनाओं को सन्तुष्ट करने वाला और समाधानकारक उत्तर देना आवश्यक है ।

MR. SPEAKER : Resolution moved :

"This House disapproves of the Delhi Sikh Gurdwaras (Management) Ordinance, 1971 (Ordinance No. 9 of 1971) promulgated by the President on the 20th May, 1971."

The hon. Minister may now move the Bill.

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मैंने एक कांस्टिट्यूशनल प्वाइंट उठाया था । मैं चाहूंगा कि आप निर्णय दे दें ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें तो कोर्ट ही निर्णय देगा, मैं कैसे दूं ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : क्या पार्लियामेंट अपने बनाये हुए कानून का उल्लंघन कर सकती है ?

MR. SPEAKER : Order please. I can give some ruling on procedural matter. This is something on which you can go to the High Court.

आप मुझ से हाई कोर्ट का काम लेना चाहते हैं ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा समझता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : सुप्रीम कोर्ट मानने पर कहीं मैं आपके खिलाफ फैसला न दे दूं ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : आप दे देंगे तो हम मान लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा न करें । यह कोर्ट का काम है ।

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI H. R. GOKHALE) : I beg to move :

"That the Bill to provide for the better management of certain Sikh Gurdwaras and Gurdwara property, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Sir, I would, with your permission, make a brief statement as to why this Bill has been brought before the House. As the House knows in June an Ordinance was promulgated by the President under Article 123 of the Constitution and it is to replace that Ordinance that the present Bill has been brought before the House. The circumstances which actuated the promulgation of the Ordinance at the time are probably fresh in the minds of those people who are in Delhi—most Members of the House.

A very tricky situation had developed and there were particularly three reasons why it was thought necessary that some emergent measure to pass a law for the management of the secular affairs of the gurdwaras in the Union territory of Delhi ought to be passed. A factual statement of what was the actual situation existing at that time would clarify why it was necessary to pass such legislation.

In this Union territory there are 13 gurdwaras. They are being managed by, what was called, the Gurdwara Prabandhak Committee, Delhi. This committee consisted partly of elected members and partly of nominated members. This committee had come into existence in 1961. Certain persons, mostly of the community concerned, had shown their dissatisfaction with the committee and the matter was taken to court. But before the matter was taken to court, there was an arbitrator appointed to nominate the entire body of the committee. As a result of the arbitrator's decision the committee came into existence. This was disapproved by some people in the community and the matter was taken to court. The Additional District and Sessions Judge declared the constitution of the committee to be invalid in April 1967. This really created a vacuum because the committee was declared to be invalid.

But the matter did not rest there. In the meanwhile there were persistent demands and agitations accompanying the demands that fresh elections to the committee should be held without delay and that the management of the gurdwaras should be overhauled.

Then, two precise incidents occurred. One was on the 10th January, 1971.

MR. SPEAKER: The election was by the members of that society.

SHRI H. R. GOKHALE: When there was a dispute, an arbitrator was appointed and the arbitrator nominated this committee about which there was dissatisfaction. The matter went to court.

MR. SPEAKER: He also raised this question. This committee came into existence as a result of the Sikh Gurdwara Prabandhak Committee under the Societies Registration Act.

SHRI H. R. GOKHALE: That is what I was about to mention. There was a society registered under the Societies Registration Act, which was called the Gurdwara Prabandhak Committee, Delhi. Certain persons were not satisfied with the constitution of the committee by this society. One group was satisfied but the other was not satisfied. There was compromise between the two disputants and an arbitrator was appointed. The arbitrator was given the power to nominate the entire body of the committee. Then a 19-member committee was nominated by the arbitrator. This was challenged in a court of law. First the matter was before the Additional District and Sessions Judge. In April 1967 this committee, nominated by the arbitrator, was declared invalid by him.

Now, before I go to the final stage of the litigation, because the matter ultimately went to the High Court, I would like to mention two particular incidents which occurred and which are relevant to the discussion of the question as to why emergent legislation was necessary.

On the 10th January, 1971, some members of the Gurdwara Reform Morcha Front formed in Delhi by Shrimati Nirlep Kaur, a former MP, went to Gurdwara Sisganj and Gurdwara Bangla Sahib, took the Sevadars of both the places by surprise and succeeded in taking possession of these religious shrines. They were dislodged by the police and it was hoped that such an incident would not repeat. But an incident did repeat and that was on 6th May, 1971, where again Gurdwara Sisganj was forcibly occupied by a group of Sikhs including some women. The closure of Gurdwara Sisganj, apart from the inconvenience it caused to a large number of Sikh devotees, created a serious law and order situation. All efforts to restore normalcy had failed. There

[Shri H. R. Gokhale]

was deep resentment in the Sikh community at the happenings in the Gurdwara and there was a persistent demand that some positive action should be taken by the Government to see that these incidents did not occur. This has reference particularly to the question raised by the hon. Member as to why when these incidents occurred no steps were taken in January and why they were taken later on. I consider it a relevant question and I have got a very positive and relevant answer to that also. The matter had gone to the High Court. There were several appeals and other proceedings pending in the High Court. The same question and, particularly, the question as to whether the constitution of the Committee by the Arbitrator was valid or not was a matter for the court to decide. If the President had stepped in with the Ordinance, it could have been reasonably argued that the whole matter was before the court and that the court was going to consider whether the committee nominated by the Arbitrator was valid or not. The Government could have been criticised that in order to forestall the decision of the Court, the Government was doing something by stepping in and recommending the promulgation of the Ordinance.

As you will find, when the matter went to the Delhi High Court on the 17th May, 1971, the High Court had pronounced its judgment and had expressly mentioned in the judgment that they also desired that this internecine quarrel between two sections of the community was not desirable and, therefore, they took all efforts to see that there was an amicable settlement reached between the contestant parties. But their efforts failed.

With your permission, Sir, I may point out that the High Court recommended either of the two courses which the High Court considered should be taken by the Government so that these difficulties would not arise. Now, it is no doubt true that one of the alternatives was an alternative to which the hon. Member referred, namely, an alternative of starting proceedings under Section 92 of the Civil Procedure Code. If I may read out a paragraph from the High Court judgment—it is a very short paragraph —it says:

> "....we have to recall that in regard to the great public interest involved, we endeavoured to bring about settlement between the contestants in this case. But we did not meet with success. We are unable to work out any solution in the altered situation arising subsequently to the suit chiefly because of the shifting attitude of the parties. On the other hand, we feel that the solution to the dispute affecting such a large number of religious and charitable institutions could be attempted by court only in a properly framed suit under Section 92 of the Civil Procedure Code. If this is not done and the contestants do not resolve their differences, a possible remedy may be to bring the needed legislation so that the interest of general public who are beneficiaries of the Trust can be protected."

Naturally, the whole underlying idea was that the beneficiaries of the Trust, their interests, should be protected. Now, everyone who is connected with proceedings in the Court knows that the proceedings under Section 92 of the Civil Procedure Code will be protected proceedings. If the situation which had arisen in the Gurdwaras in Delhi, because of the incidents that had occurred, was to be prevented, something emergent had to be done. The High Court was naturally not concerned with the Law and order situation. It had concern with the legality of the appointment of the committee. They, naturally, made two possible alternatives. But when the Government had to consider either of the two alternatives, the Government had to consider not only the legality of the matter but also the practical aspect which had arisen, namely, the law and order situation. In regard to law and order situation, it was impossible to consider to go in for proceedings under Section 92 which every one knows will be protected proceedings and the situation did not permit such protected proceedings to go on until the proceedings came to an end and, in the meanwhile, allowed the situation which had arisen in those two days to deteriorate further in the Gurdwaras of Delhi. Therefore, while the Government considered, with great respect, the recommendations of the Delhi High Court, the Government had to consider an alternative which the Delhi High Court itself had recommended, namely, in order that the beneficiaries of the Trust should not suffer, the Govern-

ment should undertake a legislation. It was felt, under the circumstances which were prevailing that the only alternative was to take adequate steps by promulgating an Ordinance as the situation had become emergent. It could not be just said that the High Court was seized of the matter. As I said, on the 14th May, the High Court had also delivered the judgment. The last incident occurred on the 6th May. In spite of the situation prevailing, the Government waited for the High Court judgment to come and, after the High Court judgment came, after considering the recommendations of the High Court, the Government decided to promulgate an Ordinance in the background of the situation as was existing at that time.

Sir, I may say that three main grievances were made. One was that the Committee was mismanaging the affairs of Gurdwaras to the detriment of the beneficiaries of the Trust concerned.

The other one was the law and order situation to which I have already referred.

And the third one was the circumstances which developed in such a way that emergent action became necessary and this is what promoted the Government to take immediate steps on the day the ordinance was promulgated. The hon. Member has referred to some points I would refer to. For example, what was said was that no reference was made, no consultation was made with the Metropolitan Council. Now, in fact, it is that consultation was not made for the first time. A fact which the hon. Member perhaps forgot to mention and which he will remember is that at the material time the Metropolitan Council was not in session. If at all any consultation was obligatory—I say it is not—but, assuming that it is obligatory, the Metropolitan Council was not in session at that time and extra-ordinary powers are given to the President under Sec. 123 not to wait even for the Parliament to go into session and to pass an Ordinance when Parliament is not in session if the circumstances so required. I don't think that anybody would construe the law to mean that even to meet emergent circumstances, the President should not promulgate an ordinance because the Metropolitan Council was not in session.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: But you could have consulted the Executive Council.

SHRI H. R. GOKHALE: I am coming to that. I have noted that argument of the hon. Member and I will endeavour to reply to that. Why did we not consult the Executive Council? Why did you not consult the other authorities there?

The hon. Member is relying on the provisions of the law which I have considered and studied to the best of my ability. Particular reference was made to Sec. 22 of the Delhi Administration Act 1966. Having read it over and over again and having considered the provisions of the law, with respect to the hon. Member, I would say that he has misunderstood the true meaning and intent of this provision. The provision does not contemplate any consultation with the Metropolitan Council being obligatory. It does not make it a condition precedent, either on Parliament or on President that before promulgation of an Ordinance consultation with the Metropolitan Council must be done without which no legislation can be undertaken. That is not the effect of the provisions to which the hon. Member has referred. The provision simply says that it gives a right to the Metropolitan Council to discuss the various matters which are mentioned in Clause (a), in which this matter also undoubtedly falls. The right to discuss and make recommendations is undoubtedly given to the Metropolitan Council. Even after the Ordinance was passed and there was considerable time before this Bill came and if the Metropolitan Council was really serious about making suggestions regarding the Ordinance, I wonder why this right which was given to the Metropolitan Council to make recommendations and suggestions, was not exercised.

Perhaps the Metropolitan Council was waiting for somebody to move it and, in a matter which pertains to its own responsibility, it does not make any initiative and make any recommendation until the Bill is passed and only for the purpose of criticising it. I am told and I read in the Press that some resolution was passed yesterday in the Metropolitan Council, only complaining about the failure to consult it. But, no positive suggestions, no positive recommendations on the Bill were made by the Metropolitan Council. The law gives them

[Shri H. R. Gokhale]

the power. They have not exercised it and for which surely the Metropolitan Council cannot blame the President or this Government which ultimately did this in order to meet an emergent situation.

I would also invite the hon. Member's attention to the fact that even in the Union Territories where there is a legislature, the Parliament's power to pass legislation remains untouched. As the hon. Member would be aware, the Government of Union Territories Act, particularly, Sec. 18 gives power to the legislatures. Here, there is no legislature in the Union Territory of Delhi. But, even when there is a legislature in a Union Territory, sub-clause (2) of Sec. 18 of the Government of Union Territories Act provides that :

> "Nothing in Sub-section (1) shall derogate from the powers conferred on the Parliament by the Constitution to make laws with respect to any matter for a Union Territory or any part thereof."

Therefore, the Parliament has been given supervening powers over all the powers even with respect to legislatures in Union Territories. I would say, with respect to the hon. Member, that it will be much more so where there is no legislature in the Union Territory.

But I must hasten to assure the hon. Member and this hon. House that it was never the object in the past nor is there any intention at present and I suppose, will not be in the future to bypass the Metropolitan Council. The object was not to see that the Metropolitan Council is bypassed. Had it not been for this emergent situation, I am quite sure, in the ordinary course, things would have gone to the Metropolitan Council if that was the practice in the past.

I would again resist the suggestion that the whole legislation is bad or that Parliament has no power and that without consulting the Metropolitan Council it could not have been done, etc. There are three things: First, there was no obligation; second, there was no time. An emergency situation had arisen. The Metropolitan Council was not in session at that time. The Parliament was not in session. An ordinance has to be promulgated by the President.

The other objection that was made was that the object was to interfere with the religious right of the Sikh community. Nothing can be farther from the minds of the Government in sponsoring this legislation. If the provisions of the Bill are read carefully, one would find that there is express provision therein that nothing in this Act will authorise any authority under the Act to interfere in the religious rights of the Sikh community. It has been made clear beyond doubt. The idea of constituting this Board is only to enable the Board to manage the secular activities of the gurdwaras. That is the assurance given in the legislation itself. Parliament, by a solemn Act, gives this assurance. There can't be any greater assurance in this country than the assurance of Parliament given through an act of the legislature.

Another point raised was : You don't define Sikhs. Sikhs have been defined, without going into the meticulous aspects of the scriptures, etc. to which the hon. Member referred to. In the Act itself it is stated that the person has to make a declaration, in order to show that he professes the Sikh religion. Also, only Sikhs can be Members of the Board, because this is relating to property of Sikh Gurdwaras. There are instances of other legislations where even non-Sikhs have been put in the management of Sikh shrines. I am not on the point whether they are good or bad. But what I am on is that care is taken in this legislation to see that no non-Sikh can be a Member of the Board.

Another point was made that they are all Congress men..

MR SPEAKER : If Mr. Vajpayee grows a beard he can call himself a Sikh..

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : I am a sahajdhari.

SHRI H. R. GOKHALE : External appearances do not make a man religious. I may have external appearances, but that does not prove that I am religious.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Are you sure, all the Members of the Board, who have been nominated are religious ?

SHRI H. R. GOKHALE : Beard or no-beard, this and that,—these are not conclusive and determinative things. The conclusive thing is

that the person must profess the Sikh religion. That is the protection given in the provisions of the Act itself.

I can assure the hon. Member that there is absolutely no idea of any interference in respect of the religious rights of the members of the Sikh community. It has been said that they are all congressmen. We don't consider which party he belongs to. A person who is chosen is to be generally acceptable to the community, he should have respectability in the community. And, I can say this. From the comments which we have got after the Constitution of the Board, we know that the Sikh community from the Union Territory of Delhi have largely accepted the Constitution of the Board. Of course, there can be difference of opinion ; I may say, I respect a person, you may say, you do not respect. Members are included on the basis of their stature and their general acceptance to the community and also various members of the community were consulted. You must have a person who is willing to serve. Not only 'willingness to serve' should be there, but he should be acceptable to the community. Government considers that the member who have been appointed are acceptable to the community and on that basis they were appointed. There can be difference of opinion on individual names of members and it will not be possible to satisfy everybody.

About the other point made by the hon. Member, I am not in a position to say that every member is a member of the Congress party. But in any case that was not the criterion adopted or applied at the time of selecting the members.

Finally, it was said that something should be done to see that the Sikh community is given an opportunity to be represented by its duly elected representatives on the management.

अध्यक्ष महोदय : पंजाब में वे कांग्रेसियों को सिख नहीं मानते हैं । हमें वे सिख नहीं मानते हैं ।

SHRI H. R. GOKHALE : I agree, and in fact, I was about to say that. This Bill is much better. I have got other instances of Acts regulating Sikh Gurdwaras which have made a headway. For instance, we have got the Nanded Gurudwara Act in the Maharashtra State under which the Collector can nominate a person, whether a Sikh or not. I am not saying that that should be done here. What I am saying is that we have taken care here to see as carefully as possible that only the Sikh community and on certain standards are members of the Board. Let me hasten to add that it is not our idea to keep this legislation as a permanent measure. It was a measure of a temporary character intended to meet the situation which existed at that time.

I shall assure the hon. Member that we share his concern that ultimately the Sikh community will have to elect its own representatives, so that they can represent the community on the Board, whatever legislation may be undertaken ; I cannot quarrel with this on principle at all. I may assure this House that this is a temporary measure ; as early as it is practically feasible, within a reasonable time, another measure will be brought before the House in substitution of the present measure so that the Sikh community will have the opportunity of electing their representatives for the management of this board. It is impossible to lay down a time-limit today. First of all, we would expect recommendations from the board itself as to what machinery should be set up in the Union territory of Delhi for electing representatives to the board which will be constituted under the new measure. Regarding the various other aspects of the management of this Gurdwara and other gurdwaras, suggestions and recommendations will be made by the board and they will be duly considered. Other suggestions and recommendations will also be duly considered, and I can assure the House that after taking all that into consideration, but within a reasonable time, a regular measure giving representation to members of the Sikh community will be brought before the House. I suppose this meets with most of the objections raised by hon. Members.

MR. SPEAKAR : Motion moved :

"That the Bill to provide for the better management of certain Sikh Gurdwaras and Gurdwara property, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

श्री दरबारा सिंह (होशियारपुर) : स्पीकर साहब, ला मिनिस्टर साहब के पूरी डीटेल्ज के साथ कहने के बाद मैं श्री बाजपेयी के सामने, जो हमारे मुअज्जिज दोस्त हैं, कुछ थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं कि वह क्यों इतना ही मसाला लेकर आये, जो उन को दिया गया, क्योंकि उन को सारी बात का पता नहीं है कि·····

अध्यक्ष महोदय : किसी ने दिया है ?

श्री दरबारा सिंह : बाहर से आया है। श्री सन्तोखसिंह ने दिया हो, किसी और ने दिया हो, मुझे पता नहीं है। वह बता सकते हैं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : जिन्होंने माननीय सदस्य को दिया है, उन्होंने ही हम को दिया है।

श्री दरबारा सिंह : हम जानते हैं।

हमारे सामने सवाल यह है कि यह आर्डिनेंस क्यों आया। इससे पहले कम्पनीज एक्ट के मातहत गुरुद्वारा एक्ट बना हुआ था। लेकिन अगर कभी मास्टर तारासिंह को यह सूट नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि एक रेजोल्यूशन पास कर दो कि हमारा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी से कोई सम्बन्ध नहीं है। कभी उन्होंने कह दिया कि हमारा सम्बन्ध है। यह तो सन्त फतेहसिंह-सन्त और मास्टर की लड़ाई है। वह क्यों ख्वाह-म-ख्वाह बीच में पड़ते हैं ? उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम लगाये कि गुरुद्वारा कमेटी·····

श्री आर० वी० वड़े (खरगोन) : माननीय सदस्य किस तरफ हैं ?

श्री दरबारा सिंह : हम तो ठीक बात कहते हैं।

यह उनकी आपस की लड़ाई थी। गुरुद्वारों पर चाहे किसी का कब्जा रहा कब्जा रखते वक्त उन्होंने ध्यान रखा कि इसको पोलीटिकल अड्डे के तौर पर कैसे इस्तेमाल करना है—यह नहीं कि गुरुद्वारों की पवित्रता और सैंक्टिटी को कायम रखना है, बल्कि डामिनेशन हासिल करने के लिए, पोलीटिकल पावर लेने के लिए इसके पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है। श्री बाजपेयी जरा देखें कि जो सरदार साहब-सरदारे-आजम इस पर काबिज थे, उन का क्या हश्र हुआ है। हटे। जरा पूछिए लोगों को कितने पुलिंदे उनके सामने आ रहे हैं कि गुरुद्वारों में क्या कुछ किया ? एक हफ्ते में जिन सरदारों का नाम लेकर आप कहते हैं कि वह कांग्रेसवाले हैं, मैं तो यह कहता हूं कि वह सिख हैं और कांग्रेस में भी होंगे तो इसमें कोई एतराज की बात नहीं है।····· (व्यवधान) ·····हमें तो कोई सिख मानता ही नहीं। अकालियों पर छोड़ दिया जाय तो वह हमें सिख नहीं मानेंगे। वह शायद आप को मान जायें, हमें नहीं मानेंगे। क्योंकि उनका तर्ज और है, बयान और है और काम और है। तो जो उन्होंने देखा, एक हफ्ते में 1 लाख 34 हजार रुपये इन दिल्ली के 16 गुरुद्वारों की आमदनी हुई। यह उन्होंने अन्दाजा लगा कर नहीं दिया बल्कि आमदनी हुई 1 लाख 34 हजार रुपये। इस हिसाब से एक साल का आप अन्दाज लगा लिजिए। 60-65 लाख रुपये बैठेगा। और जो पहले काबिज रहे हैं इतने साल उन्होंने 10-11 लाख से ज्यादा कभी शो नहीं किया। तो वह कहां गया पैसा ? किस जेब में गया? किस इंस्टीट्यूशन पर खर्च किया ?

एक माननीय सदस्य : उस में से आधा जनसंघ को दे दिया गया।

श्री दरबारा सिंह : दिया है या नहीं दिया है मुझे नहीं पता। यह इनको ज्यादा पता होगा, आप को कैसे पता है ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : जो हम को नहीं पता है वह भी इन को पता है।

श्री दरबारा सिंह : गरज यह है कि यह जो सारा पैसा इस्तेमाल किया गया वह किस तरफ जाता रहा ? और यह कि यह आर्डिनेंस क्यों जल्दी में ला दिया मेट्रोपोलिटन कौंसिल से क्यों

नहीं पूछा, एग्जीक्यूटिव कौंसिल से क्यों नहीं पूछा, तो यहां लट्ठे बाजी हो रही थी, उसका इंतजाम करते या एग्जीक्यूटिव के पास जाते या और किसी के पास जाते ? अमनौ अमान की तरफ सरकार ध्यान देती या इसका इंतजार करती कि मेट्रोपालिटन कौंसिल की मीटिंग कब होती और कब वह इसके लिए रेजोल्यूशन पास करते ? यह इंतजार एक दफा किया। पुलिस ने एक दफा सबको हटा दिया। उसके बाद कोई सामने नहीं आया मेट्रोपोलिटन हो या जिसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं वह हो, कोई उन्होंने रेजोल्यूशन पास नहीं किया कि हम यह मशविरा देते हैं। कोई सलाह कोई मशविरा नहीं दिया गया। कितना अरसा बीच में गुजरा ? इस अरसे में कोई बात वहां नहीं की गई। तो यह गवर्नमेंट पर कैसे आबलिगेटरी है कि वह मेट्रोपोलिटन के पास जाय और कहे कि आप इसमें दखल दीजिए। उनका अगर अधिकार है तो उन्होंने क्यों उसका इस्तेमाल नहीं किया ? मुझे तारीफ करनी है ला मिनिस्टर की। उन्होंने कहा है कि आइन्दा के लिए भी इस की तरफ ध्यान देने की बात है। यह फिर भी अगर सोये पड़े रहें, बस्क पर ध्यान न दें तो फिर वही हाल होगा। अगर सिर फुटौवल होता रहे, गुरुद्वारे के दरवाजे बन्द रहें, ऐसी स्थिति हो, तो गवर्नमेंट को तो कोई न कोई रास्ता निकालना ही होगा। इसलिए यह जल्दी में नहीं किया, अच्छी तरह सोच समझ कर किया। मुझे एतराज है, बाजपेयी जी ने कहा कि वह कैसे सिख हुए ? यह इनके दिमाग में क्यो यह बात है कि सिर्फ नीली पगड़ी वाला ही सिख हो सकता है ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : यह तो मैंने नही कहा।

श्री सरदारा सिंह : आप के कहने का मतलब यही है। आप कहते हैं कि कांग्रेसी हैं। कांग्रेसी सिख नहीं हो सकता, मैं यह कहता हूं कि कांग्रेसी भी सिख हैं.....

श्री आर श्री बड़े : इस वास्ते कहा कि दूसरे भी सिख हैं, उनको क्यों नहीं रखा ?

श्री सरदारा सिंह : मैं तो अर्ज कर रहा हूं कि एक फ्यूडलिस्टिक टेंडेंसी के लोग वहां बैठे थे जो यह चाहते थे कि जैसे कोई जमींदार जमीन पर कब्जा करके मजारे को तंग करके उस पर कब्जा रखना चाहता है ऐसे ही वह गुरुद्वारों पर जो काबिज थे वह उसका रुपया इस्तेमाल करके अपनी पोलिटिकल ताकत बनाने के लिए आमादा थे। क्या आप ऐसी बात मानते हैं कि गुरुद्वारों में एसी चीज होनी चाहिए ? हम इस चीज के खिलाफ हैं। मैं यह कहता रहा हूं और अब भी कहता हूं कि गुरुद्वारों का जो सिलसिला है यह उन लोगों के हाथ में जाना चाहिए जो इस की पवित्रता को, सैंक्टिटी को कायम रख पायें। यह नहीं कि तमाम रुपया पोलिटिक्स के अन्दर खर्च करें। पोलिटिक्स और धर्म को अलाहिदा रखना है। शुक्र है कि और भी लोग आए हैं उन अकालियों में से भी जिन्होंने ऐसा कहना शुरू किया है कि पोलिटिक्स और धर्म को अलग-अलग रखना चाहिए। जब तक हम मिला कर चलेंगे तब तक कोई चीज साफ हो नहीं सकती है। अगर मन्दिरों में बैठ कर यह बात शुरू हो जाय कि वहां पालिटिक्स की बात होने लग जाय तो धर्म टूट जायगा। धर्म की बात धर्म वालों से लीजिए और पालिटिक्स को इससे अलग रखिए। हम कभी नहीं कहते कि हम उसमें दखल देंगे। हम गुरुद्वारों में दखल नहीं देना चाहते। ख्वामख्वाह यह बात कहना कि सरकार ने इस में दखल दिका है गैर-वाजिब तौर पर यह ठीक नहीं है। सरकार के लिए कोई रास्ता नहीं था। और जो कुछ सरकार ने किया उससे सारे सिख दिल्ली के तो खुश हैं। मुझे पता नहीं कि किसी का उस पर एतराज है। और अगर किसी को एतराज है तो एतराज वही करने वाला होगा जो इस के नीचे कट गया। कोई दूसरा सिख इस पर एतराज करने वाला नही है। अब सरदार रणजीत सिंह को यह कहना कि वह दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं, मैं कहता हूं कि वह दिल्ली के रहने वाले चाहे न हों, लेकिन दिल्ली के बनाने वालेजरूरहैं। पिछले 30-40-50 या 60 साल से वहां रहते हैं। उनकी जायदाद यहां है। वह परमानिन्टली

[श्री बरबारा सिंह]

यहां रहते हैं । उनको आप कैसे कह सकते हैं कि वह बाहर से आए हैं ? यह ठीक है कि दूसरे भी दिल्ली के रहने वाले हैं । समझदार लोग रखे हैं ताकि यह काम ठीक तौर पर चल सके । यह 1 लाख 34 हजार रुपये की बचत हुई है वह पहले कभी हुई ? जो सरदारे आजम इस पर काबिज थे जो आज नहीं हैं उनके समय में भी हुई ? और फिर यह जो किया यह इसलिए किया कि पहले सरदार सन्तोख सिंह जो इस पर काबिज थे उन्होंने इस चीज के खिलाफ अपना एक स्टैंड काबम रखा कि कमेटी को कोई तोड़ नहीं सकता । यह स्टैंड रखा लेकिन कभी मास्टर जी से मिलते रहे, कभी किसी से मिलते रहे ।

यह सी-सा वह करते ही रहे । नतीजा यह हुआ कि हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया, एक हिस्ट्री बयान की और उन की सब चीजें उसमें बताई, लेकिन आखिर में कहा कि इसके बगैर कोई चारा नहीं हैं कि एक लेजिस्लेशन ला कर इस सारी चीज को दुरुस्त किया जाय । इसके बाद आप मानेंगे इस बात को कि सरकार ने जो अपना अधिकार इस्तेमाल किया है वह वाजिब था और प्रापर था, वक्त पर था । अगर नहीं करती तो कोताही करती और फिर ला ऐंड आर्डर सिचुएशन को संभाल नहीं पाते । इसलिए यह आर्डिनेंस लाना अच्छा ही हुआ है । यह डिस्प्यूट्स संत फतेह सिंह या मास्टर तारा-सिंह के जी पुराने चले आ रहे हैं हम उसमें नहीं जाना चाहते । हम एक ही बात कहते हैं कि जाने दीजिए उसको । यह जो एक दुरुस्ती की चीज आई है जो एक लाइन पर आई है उस को आगे बढ़ने दीजिए । मैं मानता हूं कि जब यह सारा ऐक्ट बने उसमें कई जो कमियां रह गई हैं उसके लिए हम भी सजेश्चन ला मिनिस्टर को देंगे कि इस ढंग से वह होनी चाहिए और इस में हैं कमियां, उनको दुरुस्त करने की जरूरत है । यह मशविरे से हो सकता है । लेकिन आज यह कहना कि सिखों की तारीफ गलत है, बाजपेयी जी मुझे माफ करेंगे सिख की तारीफ ठीक रखी हुई है । जो दस गुरुओं को मानता हो, जो गुरु ग्रन्थ साहब को मानता हो वह सिख है । आप भी सिख हैं अगर आप दस गुरुओं को मानते हैं और गुरु ग्रन्थ साहब को मानते हैं । लेकिन मर्यादावाले लोग जो खड़े हो सकते हैं इसके लिए उसकी तारीफ दूसरी करनी होगी । सिख की तारीफ ठीक लिखी है । यह सिंह की तारीफ नहीं है । सिंह और सिख में फर्क है । दस गुरुओं को माननेवाला चाहे आप जैसा क्लीन शेव्ड हों, चाहे मेरे जैसा हों वे सब सिख हैं । आपने ठीक कहा, कोई सहजधारी कहने वाले हो सकते हैं । डेफिनीशन कोई गलत नहीं है । अगर कोई कमी है तो उसको ठीक कर सकते है । लेकिन सिख जो हैं वह वोटर बन सकते हैं । आप वोट दे सकते हैं । शायद ऐसा कानून बन जाय कि वोट तो आप दे सकें लेकिन मेम्बर नहीं बन सकते । आपको कोई इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता कि आप शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के भी वोटर बन सकते हैं और दिल्ली के गुरुद्वारों के भी । तो आप तो इस तरफ ध्यान दें—वोटर बनने की तरफ । आप को इससे क्या कि जल्दी में क्यों किया गया है । जल्दी में नहीं किया गया । यह सब कुछ इसलिए किया गया है कि इसको सही लाइन पर लाने की कोशिश की गई है । मैं आप के नोटिस में लाना चाहता हूं कि यू० पी० में जब आप सी० बी० गुप्ता के साथ थे तो आपने तमाम अपनी पार्टी के आदमियों को नीचे सब डिवीजन तक रखा, एजूकेशन डिपार्टमेंट में कोई आदमी आप दिखा दें जो अपनी पार्टी के बाहर का लिया हो ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यहां गुरुद्वारों की बात हो रही है ।

श्री बरबारा सिंह : मैं छेड़ना नहीं चाहता था । इसलिए आप बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन गुरुद्वारों के बारे में आप बहुत कुछ कह पायें यह मुश्किल है

क्योंकि हमारा रोज का वास्ता है। गुरुद्वारे का पैसा हमारे ऊपर आरे की तरह चलता है। इसलिए हमें ज्यादा दुख है इस बात का कि जिस जीवन को लाने के लिए वह कहते हैं, वह खुद उस जीवन को नहीं ला पाते, न उसको अपनाते हैं सिर्फ दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। आपने ठीक कहा था कि हम इसका जस्टिफिकेशन नहीं करते कि कैसे पैसा खाते हैं। लेकिन आप इसका जस्टिफिकेशन कैसे करते हैं कि यह आर्डिनेंस नहीं आना चाहिए था? इसका जस्टिफिकेशन यह नहीं है। अगर दिल्ली में एक पार्टी इन पावर है, मेट्रोपोलिटन कौंसिल में या किसी जगह पर भी तो जरूरी तौर पर उसकी राय लेनी चाहिए। यह आब्लीगेटरी नहीं है बल्कि नार्मल कोर्स में होना चाहिए इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। लेकिन इस बात की बिना पर आप आर्डिनेन्स के जस्टिफिकेशन को बिल्कुल खत्म ही कर दें तो मैं समझता हूं कि आप यह जस्टिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां पर इतनी सीरियस सिचुएशन आई हुई थी कि इसके सिवाय और कोई चारा ही नहीं रह गया था कि गवर्नमेन्ट उसमें दखल दे। जितना कुछ हुआ वह सब आपको पता ही है, वह बात मैं यहां पर कहना नहीं चाहता हूं जो राज्य सभा में सदरे आजम की बातें कही गई हैं कि कहां से चार-चार, पांच-पांच लाख के बड़े-बड़े मकान बने क्योंकि मैं जानता हूं मेरे जिले में दरिया के किनारे पर एक छोटा सा गांव है जिसमें वह बसते रहे हैं .....

अध्यक्ष महोदय : आपके ही जिले के हैं?

श्री बरबारा सिंह : मैं इससे इनकार नहीं कर सकता क्योंकि वह वहां के रहनेवाले हैं। मुझे पता नहीं दरिया ने आज वह इलाका दूसरी तरफ लुधियाने में कर दिया हो लेकिन पहले वह वहां पर थे। इसलिए जितना ही आप इसको खोलेंगे वह ठीक नहीं होगा। आप यह कहिए कि जितना भी करप्शन हुआ है, जितनी भी खराबी हुई है, गुरुद्वारे में बैठकर जो ऐसी बातें करने वाले लोग हैं, मैं समझता हूं आप इस बात में हमारे साथ होंगे कि बहुत अच्छी तरह से उसकी तहकीकात होनी चाहिए क्योंकि लोगों ने एक-एक पैसा अपने खून पसीने की कमाई से बड़ी श्रद्धा के साथ वहां पर जाकर चढ़ाया है। वह सारा का सारा रुपया कहां जाता है? इस बात में तो आप हमारे साथ होंगे कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन लोग ऐसा काम करते रहे हैं।

और ज्यादा न कहते हुए मैं आपसे यही अर्ज करना चाहता हूं कि एक जस्टिफिकेशन की बिना पर सरकार एक काम करने के लिए यह आर्डिनेन्स लाई है और इसका इनैक्टमेन्ट करना है तो उसमें जैसे सभी लोगों को अधिकार है वैसे ही हम भी उसमें अपने सजेसन्स देंगे और यह जो खतरा है कि शायद यह कमेटी हमेशा के लिए बैठ गई है वह गलत है। जैसे ही हालत नार्मल हुए ओर गुरुद्वारों की फंक्शनिंग ठीक तरह से चली और जिनके पेट कसे पड़े हैं खा-खा कर उनके पेट ढीले हो जायें उस वक्त हम आपके साथ होंगे कि गुरुद्वारों के एलेक्शन होकर वह आदमी वहां पर आ जायें जो कि ठीक हैं. कमेटी के आदमी आ जायें बहुत ठीक है, और आ जायें वह भी ठीक है लेकिन ऐसे आदमी होने चाहिएं जो कि इन्टेग्रिटी वाले हों और गुरुद्वारों का पैसा खराब न करने वाले हों। इन अलफाज के साथ मैं इस बात की ताईद करता हूं कि सरकार ने वरवक्त यह चीज की है। स्पीकर साहब, आप तो सब कुछ पंजाब के बारे में जानते हैं, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, यही चीज अगर पंजाब में भी हो जाये, जैसे कि फ्यूडल सरकार टूट गई है उसी तरह से इससे भी वहां नजात मिल जाये तो बहुत अच्छा होगा। इन अलफाज के साथ मैं खत्म करता हूं।

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा) : स्पीकर साहब, जो आर्डिनेन्स निकाला गया है मैं उसको सपोर्ट करता हूं क्योंकि इसके बगैर, जो लड़ाई वहां पर चल रही थी, जो चढ़ावा वहां पर चढ़ता है उसके लिए जो लड़ाई चल रही थी वह

[श्री भान सिंह भौरा]

मिटने वाली नहीं थी। अच्छी बात हुई कि यह आर्डिनेन्स आ गया, जो पहले से वहां काबिज थे उनको हटा लिया गया और उनकी जगह पर दूसरे कुछ लोगों को नामिनेट कर दिया गया। मैं अभी सुन रहा था कि फ्यूडल टेन्डेन्सी वाले जो लोग हैं उनको वहां से खत्म करना है। सरदार दरबारा सिंह यहां पर नहीं हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या जो लोग उस बोर्ड में नामिनेट किए गए हैं वे फ्यूडल नहीं हैं? कौन नहीं जानता कि सिक्का जगजीत सिंह उस खानदान से हैं जिस खानदान के बुजुर्गों ने, जब सन 1921 में पंजाब ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान के सिखों ने गुरुद्वारों को नजात दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी थी तो ननकाना साहब में कुओं में जहर डाल दिया था और हजारों सिख उसमें मर गए थे। अंग्रेजों ने उनको "सर" के खिताब दिए थे, जमीनें दी थीं और लैंडलार्ड बना दिया था। और आज ये कहते हैं फ्यूडलिस्ट टेन्डेन्सी वालों को खत्म करना है। जो बोर्ड बनाया है वह हो सकता है पहले से कुछ अच्छा हो लेकिन जो सिख धर्म की रवायत है उससे यह उलटी बात है कि इस तरह के पवित्र स्थान पर ऐसे लोगों को बिठा दिया जाये जो कि फ्यूडल हों, जो लैंडलार्ड हों।

13.55 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

मैं समझता हूं गुरु नानक देव साहब ने और गुरु गोविन्द सिंह ने जो लिखा था और जो उनकी जिन्दगी थी, उसके यह खिलाफ जाता है अगर यहां पर बड़े बड़े लैंड लार्डस् को और बड़े-बड़े सरदारों को बिठा दिया जाये। गुरु नानक साहब ने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वे अपनी जिन्दगी भर गरीबों के साथ रहे और आप कहते हैं कि सिख वे हैं जो कि लैंडलार्ड हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यह जो बोर्ड है उसमें जिन लोगों को आपने नामिनेट किया है वह ठीक नहीं हैं। मैं समझता हूं अगर ऐसा होता कि पार्लियामेन्ट से दो एलेक्ट हो जाते मेट्रोपोलिटन कौंसिल से भी एक ले लिया जाता अगर वहां पर कोई होता और प्रेसीडेंट एक नामिनेट कर देते---ऐसे लोग होते जो कि इन्टेग्रिटी वाले होते और जिन पर किसी को डाउट नहीं होता तो बाजपेयी जी को भी यहां पर कुछ कहने का मौका नहीं मिलता कि कैसे लोगों को वहां पर बिठा दिया गया। बाजपेयी जी का झगड़ा क्या है वह आप जानते ही हैं। (व्यवधान)..... अकाली पार्टी की वहां पर गवर्नमेन्ट थी और पहले इन्होंने कहा कि मोस्ट करप्ट सरकार है। वहां पर प्रेसीडेन्ट रूल कीजिए। लेकिन दूसरे ही दिन वे बाजपेयी जी के पास आ गए तो इन्होंने कहा कि हमारी मांगों को मान लो तो ठीक है। (व्यवधान)....तो डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि गुरुद्वारों का जो रबैया रहा और जो वहां का फंड है उसको जैसे बरता गया, जिस तरह से इस्तेमाल किया गया उसकी पड़ताल होनी चाहिए। सरदार संतोख सिंह यहां पर लाखों रुपया खा गए और पंजाब के दूसरे गुरुद्वारों में जैसा होता है उसका हमको पता है कि लाखों रुपया एलेक्शन में बरता जाता है। वहां पर गुरुद्वारों में सिखों का कब्जा नहीं है बल्कि वहां पर महन्तों का कब्जा है जिनके गुरुओं ने लड़ाई लड़ी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस तरफ भी सोचे कि वहां पर भी एलेक्शन करवाये जायें और यहां पर जो बोर्ड है उसके लिए इन्होंने कहा है कि कुछ दिन के बाद एलेक्शन करवा दिये जायेंगे तो मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब फौरन ही यह काम करवायें। एलेक्शन वहां पर हो जायें ताकि यह बोर्ड न रहे और एलेक्टेड लोग जो कि वहां के रहने वाले हैं वे आ जायें। मैं तो समझता हूं कि जितनी देर सियासत और धर्म को एक साथ रखा जायेगा तब तक यह गड़बड़ चलती रहेगी। सियासत और धर्म को अलग-अलग करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि यहां पर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट इस तरह का कानून क्यों नहीं लाती? गुरुद्वारे में जो शिरोमणि कमेटी के मेम्बर थे वे वहां से पैसा खर्च करके एम० एल० ए० और एम० पी० बन जाते हैं। इसके लिए निहायत जरूरी है कि

यहां पर ऐसा बिल लाया जाये कि सियासत और धर्म को अलग-अलग रखा जायेगा । फिर यह झगड़े नहीं होंगे । अकाली पार्टी हमेशा ऐसे ही करती रही । धर्म के नाम पर वोट ले लिये और गद्दी पर बैठ कर गरीबों को कुचला ।

14 hrs.

मेरे इलाके में बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, दमदमा साहब, पांचवा तख्त । जब अकालियों ने देखा कि वोट नहीं मिल रहे हैं तो सात दिन पहले गुरु ग्रन्थ साहब की पीठ में आग लगा दी और कह दिया कि कम्युनिस्टों ने आग लगा दी । लेकिन जो लोग पकड़े गये वह अकाली पार्टी के लोग थे । इसलिये धर्म को सियासत में बरता जा रहा है इसको सरकार को अलग करना चाहिये ताकि धर्म पवित्र हो । मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी जो कानून लायेंगे उसमें ऐसी व्यवस्था होगी कि सियासत और धर्म अलग-अलग होंगे, और जो लोग चुने जायेंगे धर्म के लिये कम से कम सियासत में नहीं खड़े हो सकेंगे । अगर ऐसा नहीं किया जायगा तो गुरुद्वारे की पवित्रता कायम नहीं रह सकती है । मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसी सेशन में ऐसा कानून लायेंगे ताकि हालत ठीक हो सके । मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुद्वारों का इलेक्शन कराने का जो बिल है वह इसी सेशन में मंत्री जी लायेंगे । इन शब्दों के साथ मैं इस आर्डिनेन्स का समर्थन करता हूं ।

श्री सतपाल कपूर (पटियाला) : जनाबे सदर, हिस्ट्री में आया है कि कई बार गुरुओं को मजबूर होकर अपने पैरोकारों के खिलाफ लड़ना पड़ा । आज सिख गुरुद्वारों की हालत ऐसी है कि जिसके बारे में जितना कहा जाय वह कम ही है । अगर इन गुरुद्वारों को कायम रखना है, इनकी मान्यता को कायम रखना है, तो उसके लिये यह जरूरी है कि जो लोग इन गुरुद्वारों में बैठे हुए हैं उनको इनसे बाहर किया जाय । दिल्ली में सरकार ने जो कुछ किया वह बिल्कुल ठीक किया है । यहां पर यह हालत थी कि जो आदमी 32 रु० महीने का नौकर था आज से 10 साल पहले, वह आज 50 लाख रुपये की जायदाद का दिल्ली में मालिक है । 16 लाख रु० की कोठी ग्रेटर कैलाश में नजर आती है । बाजपेयी जी को नजर नहीं आती है । गुरुद्वारे में 50 बोरी लंगर में लगती है तो 500 दिखा कर दाम वसूल किये जाते हैं । कढ़ावे की गिनती नहीं होती । दिल्ली और पंजाब में भी जो आमदनी होती है, वह बोरियों में बन्द की जाती है ।

100 बोरी भांज को इकट्ठा करके 10 बोरी दर्ज की जाती हैं और 90 बोरी घर में जाती हैं और यह पैसा बुरे कामों के लिये काम में लाया जाता है । इसकी रोकथाम के लिये जो कदम उठाया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

श्रीमती निरलेप कौर एक बहादुर औरत हैं क्योंकि उन्होंने गुरुद्वारों की पवित्रता बचाने के लिये बड़ी दलेरी तथा हिम्मत से काम किया है । मैं तारीफ करता हूं कि उन्होंने वह काम किया जो हर एक आदमी को, जो कि गुरुद्वारों की पवित्रता कायम रखना चाहता है, उसको करना चाहिये था । इसलिये सरकार को मजबूर होकर गुरुद्वारों की हालत सुधारने के लिये इस आर्डीनेन्स को लाना पड़ा । दिल्ली में गुरुद्वारों की आमदनी 40 लाख रु० साल से ज्यादा नहीं हुई । दो, ढाई लाख रु० महीना की आमदनी दिल्ली में दिखाई जाती रही । 20 मई को सरदार जोगिन्दर सिंह ने गुरुद्वारे का प्रबन्ध सम्भाला है । 20 मई से लेकर 20 जून तक की जो आमदनी है वह 6 लाख रु० है । यानी एक महीने में ढाई लाख से बढ़कर 6 लाख रु० की आमदनी हो गयी । और उनका अंदाज है कि इस साल से 70 लाख रु० की आमदनी गुरुद्वारे की होगी ।

माननीय बाजपेयी ने बड़ा जोर लगाया इस बात पर कि यहां कांग्रेसी लोग गुरुद्वारा प्रबन्धक

[श्री सतपाल कपूर]

कमेटी में ले लिये गये। लेकिन उनकी पार्टी, सी० पी० आई०, सी० पी० एम०, डी० एम० के० आदि पार्टियों के मेम्बरों ने राज्य सभा में एक बात कही थी कि सरदार जोगिन्दर सिंह की रहनुमाई में बनायी गयी कमेटी में करप्शन नहीं हो सकता। और यह बात उन्होंने एक महीने के अर्से में साबित कर दी, ढाई लाख रु० के बजाय 6 लाख रु० कमाया। कारण जाहिर है कि रुपया बोरियों में धर नहीं जा रहा है। वहां पर 50 बोरियों की जगह 500 बोरी का बिल नहीं बन रहा है।

जहां तक सरदार रणजीत सिंह जी का ताल्लुक है मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वह कांस्टीटूएंट असेम्बली के मेम्बर रहे, पहली, दूसरी और तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे हैं और उन पर अभी तक किसी तरफ से कोई इल्जाम नहीं लगाया गया। आज दिल्ली के गुरुद्वारों में जो ला एण्ड आर्डर की हालत थी, जो उनमें जाने वालों की हालत थी, जो यहां दलबन्दी थी और जिसका असर यहीं नहीं बल्कि हर जगह पड़ रहा था, पंजाबी बदनाम हो रहे थे कि ये लोग हर बात और हर जगह पर लड़ते हैं, उसको खत्म करने के लिये सरकार ने यह कदम उठा कर बहुत अच्छा काम किया। हमारे दोस्त की हालत तो वही है, जैसे मिसाल है कि अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, हर बात उनको इसी दृष्टिकोण से देखनी है, चाहे कोई बात कितनी ही ठीक हो या गलत हो।

माननीय भान सिंह भौरा ने कहा कि अकाली पार्टी करप्ट है। लेकिन जब अकाली वजीर कम्युनिस्ट पार्टी से मिल गये तो उनका करप्शन दूर हो गया। इसी तरह दिल्ली के गुरुद्वारों में कुछ भी होता रहे, 50 की जगह 500 बोरी का बिल बनाया जाय, 100 बोरी भांज की जगह 10 बोरी दिखायी जायें, इस पर कम्युनिस्टों को कोई आपत्ति नहीं। दिल्ली में 17 लाख रु० की बिल्डिंग बनाना, और जो लोग मिलने आते हैं वह एयर कंडीशन्ड गाड़ी में आते हैं तो वह अच्छे हैं क्योंकि कम्युनिस्ट मिलने आते हैं। समझ में नहीं आता कि हमारा मौरल कहां जा रहा है। हमारे साथी वही बात करते हैं जिससे उनकी पार्टी को लाभ हो। आप एक मिनिमम स्टैन्डर्ड तो मुकर्रर कीजिये, एक कोड आफ कंडक्ट तो अपनाइये कि किस बात को कहना चाहिये और किस बात को नहीं कहना चाहिये।

जिस तरह से आपने दिल्ली के गुरुद्वारों में पवित्रता कायम करने के लिये इनीशियेटिव लिया है उसी तरह से पंजाब के गुरुद्वारों में भी सुधार करने के लिये आपको कदम उठाना चाहिये। आज वहां हालत यह है कि गुरुद्वारों में स्मगलिंग होती है, दुनिया भर के जुर्म किये जाते हैं, हर बदमाश आदमी जो कहीं पर पनाह नहीं पा सकता उसको आज गुरुद्वारों में पनाह मिल जाती है। अकाली पार्टी के जत्थेदार लोग ऐसे लोगों की रखवाली करते हैं। क्या यह गुरुद्वारे इन्हीं कामों के लिये बने हैं? इन गुरुद्वारों से हमको क्या प्रेरणा मिलती है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस पवित्र भावना से यह गुरुद्वारे बनाये गये क्या आज वह मकसद पूरा हो रहा है? उस मकसद को पूरा करने में जो भी रुकावट सामने आती है, सरकार को उसे दूर करना चाहिये। उस मकसद को पूरा करने में कौन रुकावट पैदा करते हैं? मेरे ख्याल में वे हैं अकाली पार्टी के जत्थेदार, संत फतेह सिंह और उनकी पार्टी। पंजाब में भी और यहां भी। पंजाब में आप गुरुद्वारे में घुस नहीं सकते, वहां के अकाउन्ट को चेक नहीं कर सकते, वहां किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि वह गुरुद्वारे में बैठा है। कोई आदमी अगर कत्ल करके गुरुद्वारे में चला जाय और जत्थेदार को फीस अदा कर दे तो कातिल को पकड़ा नहीं जा सकता। इस किस्म के हालात आज पंजाब में हैं। इसको ठीक करना किसकी जिम्मेदारी है? मैं मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं। उधर के लोग तो बतलायेंगे नहीं। उनकी जिम्मेदारी तो सिर्फ एक है। उनकी जिम्मेदारी

है इल्जाम लगाना, उनकी जिम्मेदारी है जो कुछ सरकार करे उसको अपोज करना, इसके सिवा उनकी और कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी तो है कि जहां अन्धेर हो उसको दूर करे। दिल्ली में आपने किया, पंजाब में भी पार्लियामेंट कदम बढ़ाये।

श्री महेन्द्र सिंह गिल (फिरोजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली के गुरुद्वारों के बारे में जो कुछ हिन्दुस्तान की सरकार ने किया है उसके लिये मैं उसको मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि जिस-जिस गुरुद्वारे में श्री गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दे कर हिन्दू धर्म की रक्षा की थी, उसको ताले लग जायें, राइफल वाले पहरे पर खड़े हो जायें, शिखों के दो ग्रुपों में तशादुम का खतरा हो जाये और हिन्दुस्तान की सरकार सोई पड़ी रहे, यह नहीं हो सकता था। बीस दिन पच्चीस दिन वह देखती रही, इन्तजार करती रही, जो गुरुद्वारा था वह बन्द हो रहा था और जो श्रद्धालु लोग थे वह शर्म से रोते थे। मैं जाता रहा हूं गुरुद्वारा सीसगंज के बाहर। मैंने वहां देखा कि औरतें, सिख देवियां, सिख बाबे, जो श्रद्धालु थे और सिख धर्म से प्रेम करते थे, वह रो रहे थे और गुरुवाणी का एक शब्द बोल रहे थे :

कल काती राजे कसाई,
धर्म पंख कर उडरिया।
कूड़ अमावस सच चन्द्रमा,
दीसे नाहीं के चढ़िया॥

जब ऐसी हालत पैदा हो जाये, जब यहां गोलक युद्ध शुरू हो जाये, और ऐसा गोलक युद्ध जिसमें कत्ले आम हो सकता था, तब मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार ने ऐन मौके पर, हालांकि देर से, कदम उठाया। यह जो कमेटी थी, मैं हिन्दुस्तान की सरकार से कहूंगा, जो उसके ओहदेदार थे, आज से नहीं पहले से वह ठीक काम नहीं कर रही थी। आज तो जनसंघ वाले उनके भाई बहन बन गये हैं और अटल विहारी बाजपेयी उनकी मदद के लिये बैठे हैं। मैं हैरान हूं कि पंजाब से सिर्फ एक टोटरू अकाली दल का आया है और वह भी नहीं बोला है। उनका दर्द सिर्फ श्री बाजपेयी को आया है। उनके बजाय गुरदास सिंह बादल को बोलना चाहिये था जो कि अकाली एम० पी० हैं।

मैं समझता हूं कि जनसंघ और अकाली दल ऐसी फिर्कापरस्त पार्टियां हैं जिन्होंने हिन्दुस्तान में आग लगाई है। मैं समझता हूं कि इस अकाली पार्टी ने गुरुद्वारों पर कब्जा करके जो सिख धर्म की बेहुर्मती की है, जो बेइज्जती की है उसको इतिहासकार माफ नहीं करेंगे। आज हिन्दुस्तान के इस सबसे बड़े सदन में मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। आपको याद होगा कि सन्त फतेह सिंह ने गुरुद्वारे में अरदास की और अरदास करके तीन बार अरदास भंग की। इसके बाद जो कुछ हुआ उससे सिख धर्म का सिर शर्म से झुका। दूसरी तरफ हमारे महान् शहीद सरदार दर्शन सिंह फेरूमान थे जिन्होंने एक अरदास की और फैसला किया। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी सन्त चानन सिंह को जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्ध कमेटी के प्रधान हैं और एक चिट्ठी सन्त फतेह सिंह को लिखी जो आज महन्त बने बैठे हैं पंजाब में। जो चोर उचक्के चौधरी और गुंडी रन प्रधान के माफिक है। उनको चिट्ठी लिखी कि संन्तजी महाराज, आपने गुरुद्वारे में बैठकर एक प्रण किया था कि आप चण्डीगढ़ के लिये या तो मर जायेंगे या चण्डीगढ़ को प्राप्त करेंगे और अरदास को पूरा करेंगे। लेकिन आपने सिखों की मर्यादा को भंग किया है, सिखों की बेइज्जती की है, जिससे सिख गुरुद्वारों का सत्कार घटता है। आपको वह अरदास भी याद होगी जो इतिहास में आती है। महाराज रणजीत सिंह की फौज मुगलों से लड़ने के लिये जा रही थी। उसका जनरल अकाली फूला सिंह था। उसने अरदास की। महाराज रणजीत सिंह ने उसको रोका और कहा कि रुक जाओ, आगे बहुत दुश्मन हैं। अकाली फूला सिंह ने कहा : ओ कानें, तुझे पता नहीं कि अरदास की क्या कीमत होती है? अकाली फूला सिंह मुगलों से लड़ा और अपनी

[श्री महेन्द्र सिंह गिल]

शहादत दे दी, वह वापस नहीं आया, महाराजा रणजीत सिंह के कहने से। उसी तरह से फेरूमान ने एक पत्र लिखा बाबा फतेह सिंह को और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के सन्त चानन सिंह को कि आप मुझको अपना प्रण पूरा करने की इजाजत दें। गुरुद्वारे सबके साझे हैं। तुमने गुरुद्वारे में जो अकाल तख्त है उसकी छत पर बैठ कर अरदास की थी और रोज कड़ा प्रसाद खाते रहना लेकिन मैं पब्लिक के सामने गुरुद्वारा मंजी साहब के सामने मरण व्रत लूंगा। सन्त फतेह सिंह उस चिट्ठी को पी गये और उसका जवाब तक नहीं दिया। लेकिन इस मर्द मुजाहिद ने हिन्दुस्तान में नाम पैदा किया। आज तक कभी 74 दिन का फर्क जिन्दगी और मौत में किसी शहादत में नहीं हुआ। मैं कहता हूं श्री बाजपेयी से कि वह इन पापियों की मदद न करें। पापी के मारने को पाप महाबलि है। अब पंजाब में अकालियों का प्रबन्ध गुरुद्वारों में नहीं रहेगा। जो कुछ है वह दर्शन सिंह फेरूमान की रूह करवा रही है। उसने सन्त फतेह सिंह और सन्त चानन सिंह को जो पत्र लिखा उसको वह पी गये, लेकिन मर्द मुजाहिद ने ऐलान किया कि 15 अगस्त को उस बकाला गुरुद्वारे में जहां श्री तेग बहादुर प्रकट हुए थे, अखण्ड पाठ रक्खूंगा और अरदास करके दरबार साहब में जाकर बैठ जाऊंगा। जो सन्त फतेह सिंह इल्जाम लगाते रहे हैं हिन्दुस्तान की सरकार पर उनके पापी आदमियों ने क्या किया देखिये। गुरनाम सिंह ने, जो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब में, जिनके भाई-बाल जनसंघ वाले थे मिनिस्ट्री में, मर्द मुजाहिद को 14 तारीख की रात को 12 बजे गिरफ्तार कर लिया, हथकड़ियां लगा दीं और उसको जेल में बन्द कर दिया। वह बूढ़ा जनरल हाथ जोड़े था कि मुझे अरदास कर लेने दो गुरुद्वारे में जाकर। लेकिन किसी एस० पी० या डी० सी० ने उसकी बात को नहीं माना। उसको सेंट्रल जेल, अमृतसर में भेज दिया। उसके बाद 15 अगस्त को उस मर्द मुजाहिद शहीद दर्शन सिंह फेरूमान ने अमृतसर जेल में अरदास की, यह मैं श्री बाजपेयी को बतलाना चाहता हूं, और अरदास करके मरण व्रत पर बैठ गया।

उस मर्द मुजाहिद ने अपनी बिल में लिखा कि जब मैं मर जाऊं, शहीद हो जाऊं, तो जो सन्त फतेह सिंह का अग्निकुण्ड, पाखण्ड कुण्ड, बना हुआ है, उसमें मेरा संस्कार कर देना। लेकिन उनकी सरकार ने, डी० सी० और एस० पी० ने अर्ज किया कि गड़बड़ हो जायेगी, कत्ले-आम हो जायेगा और वहां की पवित्रता भंग होगी। उनकी बिल को तब्दील करवाया गया। तब उन्होंने यह मांग की कि शहादत के बाद मेरा शहीद सिर दरबार साहब के सामने नवा कर गांव ले जाना और उसके बाद वहां संस्कार कर देना। लेकिन गुरुद्वारा वालों ने इसकी इजाजत नहीं दी क्योंकि गुरुद्वारा उनके कब्जे में था और पंजाब की सरकार अकालियों के कब्जे में थी। जनसंघ वाले उनके भाई बाल थे।

ऐसे ही हालात आज दिल्ली में हैं। मैं कहता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार एक आल इंडिया ऐक्ट बनाये गुरुद्वारों के लिये और इससे सुधार होगा। गुरु नानक देव ने कहा था कि :

अवल अल्ला नूर उपाया
कुदरत दे सब बंदे।

एक नूर ते सब जग उपजिया
कौन भले कौन मन्दे॥

यह नहीं सोचते कि अगर इस बात पर ही उन अकालियों की श्रद्धा है तो उनको क्या है, चाहे जगजीत सिंह बनें, रणजीत सिंह बनें, जोगेन्द्र सिंह बनें या प्रीतम सिंह बनें क्योंकि नानक देव ने कहा था कि :

एक नूर ते जग उपजिया
कौन भले कौन मन्दे॥

अन्त में भारत सरकार से कहूंगा कि पंजाब में जो गुरुद्वारों की हालत है वह भी बहुत खराब है। इससे भी बदतर है। वहां के

गुरुद्वारों की हालत यह है कि वहां अफीम बिकती है, वहां स्मग्लर छिपते हैं क्योंकि अमृतसर बार्डर के साथ है, वहां गुरुद्वारों में गुरु रामदास की सराय है, वहां वह लोग रहते हैं। पुलिस वहां जा नहीं सकती। गुण्डे जा सकते हैं, स्मगलर जा सकते हैं, अफीम बेचने वाले जा सकते हैं लेकिन इन चीजों की रोकथाम के लिये पुलिस नहीं जा सकती। मैं एक बात कहता हूं कि लोगों का धर्म से यकीन उठ गया। हिन्दुस्तान की इससे बदतर हालत और क्या हो सकती है ? जिस तरह से बाई एलेक्शन में डिफेक्शन्स हो रहे हैं यह भी उसकी कड़ी है। जब आदमी धर्म का विचार न करे, जब धर्म में यकीन न करे तो वहां सब कुछ हो सकता है। मैं भारत सरकार से कहूंगा कि गुरुद्वारों के लिए एक आल इंडिया एक्ट बनाया जाए। ये तो दिल्ली के गुरुद्वारों की बात करते हैं लेकिन मैं कहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान के गुरुद्वारों के लिए एक्ट बनना चाहिये। जहां तक पंजाब के गुरुद्वारों का सम्बन्ध है, वहां जत्थेदार और जो जम्फेमार हैं, उनको हटाया जाए और महन्तों को पंजाब में खत्म किया जाए। मैं बाजपेयी जी को बतलाना चाहता हूं कि जत्थेदार संतोख सिंह की जो कमेटी थी तब उनका 35 लाख रुपये का सालाना बजट हुआ करता था लेकिन अब एक हफ्ते के अन्दर ही इस बोर्ड ने एक लाख रुपये से ज्यादा की आमदनी करके दिखला दी है। वह कहां से आ गया ? जत्थेदार जोगेन्द्र सिंह ने घर से नहीं दिया। ये लोग गोलक चोर थे ओर इनके वक्त में गोलक युद्ध चलता था। जत्थेदार संतोष सिंह कभी थे तो कभी रिछपाल सिंह का कब्जा हो गया। भारत सरकार ने जो कुछ किया है बहुत अच्छा किया है। लेकिन मैं कहूंगा कि इलैक्शन जरूर करवाये जायें और जल्दी करवाये जायें। दिल्ली के लिए ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान के गुरुद्वारों के लिए इलेक्शन करवायें ताकि जो प्रेमी जन हैं, जो श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके कब्जे में ये गुरुद्वारे आ सकें।

इसके साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और इसका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके लिए मैं सरकार को मुबारिकबाद देता हूं। एक बहुत अच्छा उदाहरण इन्होंने पेश किया है।

SHRI H. R. GOKHALE : The main point in support of this Bill I have already made in my introductory speech. What more jus ification can there be than this that all the Sikh Members, who have spoken in this debate, have supported this Bill.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : They are not from Delhi.

SHRI H. R. GORHALE : I take it, the hon. Member also is not from Delhi. In addition to that, he is not a Sikh.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : The hon. Minister also is not a Sikh.

SHRI H. R. GOKHALE : This measure has received wide acceptance from the Sikhs of Delhi. Hon. Members, who are Sikhs, in this House have all supported it. This was done in consultation with the Sikh community. As I seid in the beginning, it was a temporary measure.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : In consultation ?

SHRI H. R. GOKHALE : Yes. Various sections of the community were consulted to meet the situation which had arisen at that time. There was no regular method of holding elections. That will be devised when the new measure will be brought forward. I assure the hon. Member that it will be brought forward in a reasonable time, as early as posible. It is nobody's intention to give possession of these Gurdwaras to a nominated board for all time to come. The ideal to be achieved is that the Sikh community should elect their own members for the purpose of management of this board. That object will be fuifilled when the new measure will be brought forward. I have told of the circumstances in which it had been brought. It was not purely a legal question but it was a law and order question also. The High Court dealt with the legal question and made one recommendation which we accepted. The Government dealt with the law and order situation. The law and order situation was such that something emergent was necessary.

[Shri H. R. Gokhale]

I do not wish to repeat all the arguments which I have already given in my opening speech.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस विवाद में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। यह ठीक है कि प्रायः सभी सदस्यों ने अध्यादेश का समर्थन किया है। लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी माना है कि अभी जो विधेयक पेश किया जा रहा है,, उसमें कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं और उन कमियों और खामियों को दूर किया जाना चाहिए।

सरदार दरबारा सिंह ने यह स्वीकार किया है कि प्रबन्धक बोर्ड में जो भी सदस्य नामजद किए गए हैं, वे कांग्रेसी हैं—

एक माननीय सदस्य : नुकसान क्या है? कांग्रेसी सिख भी होते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कांग्रेसी सिख होते हैं लेकिन गैर कांग्रेसी भी सिख होते हैं और दिल्ली के सारे सिख कांग्रेसी नहीं हैं।

यह कहा गया है कि इसका सभी ने स्वागत किया है। स्वागत किसने किया है और किसने नहीं किया है, यह तो तब पता लगेगा, जब चुनाव होगा। उपाध्यक्ष महोदय, आप इसको तो स्वीकार करेंगे कि अपने दल के सभी सदस्यों को नामजद करके सत्तारूढ़ दल ने प्रशंसा का काम नहीं किया है।

श्री आर० डी० भंडारी (बम्बई मध्य) : अच्छे लोग हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस पार्टी के बाहर कोई अच्छे लोग नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली के गुरुद्वारों का ऐसा चित्र खींचा गया है जो बड़ा ही भयंकर है, बड़ा ही वीभत्स है। कहा गया है कि रुपया खाया जा रहा था। कहा गया है कि किसी सज्जन ने पचास लाख रुपया बना लिया और बंगला खड़ा कर लिया। इस तरह के भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण दिये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह स्थिति कब से चल रही है। अगर स्थिति कई वर्षों से चली आ रही है तो पहले से हस्तक्षेप क्यों नहीं किया गया? कारण एक ही है कि सरदार संतोख सिंह तब तक दूध के धुले थे जब तक वह कांग्रेस पार्टी के साथ थे और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो गए तो सारी बुराइयों के गढ़ बन गए। यह जो दृष्टिकोण है इसको सरकारी पार्टी को बदलना होगा।

श्री सत्पाल कपूर : संतोख सिंह कभी कांग्रेस पार्टी के मेम्बर नहीं रहे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह फैक्चुअली गलत हैं। मैंने कब कहा है कि मेम्बर थे। मैंने तो कहा है कि कांग्रेस पार्टी के साथ थे।

एक माननीय सदस्य : जैसे शशिभूषण आप के साथ हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह बिल्कुल बेबुनियादी बात है।

श्री साधू राम (फिल्लौर) : कब कांग्रेस के साथ थे?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : चुनाव को आप भूल गए हैं? सुभद्रा जोशी जी यहां नहीं हैं। लेकिन आप भूल गए हैं कि सुभद्रा जोशी जी सरदार संतोख सिंह को लेकर प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के पास गई थीं। कच्चा चिट्ठा मत खुलवाइये। जब तक कोई कांग्रेस पार्टी के साथ है वह अच्छा है और जब वह खिलाफ हुआ या वह खिलाफ है, तो वह बुरा है, यह कसौटी ठीक नहीं है। व्यक्ति के गुण दोष के आधार पर निर्णय होना चाहिए, राजनीतिक आधार पर नहीं। यही हमारी शिकायत है कि राजनीतिक आधार पर निर्णय होते हैं। प्लेबिसिट फ्रंट काश्मीर को भारत से अलग ले जाने की बात पहले से कर रहा था। लेकिन जब चुनाव आए

गैर चुनाव में आपको कठिनाई दिखाई दी, आपने उसको अवैध घोषित कर दिया। उसको पहले से अवैध घोषित किया जाना चाहिये था। लेकिन तब आपने कार्रवाई नहीं की है। आपने कार्रवाई तब की जब चुनाव सिर पर आ गए।

उपाध्यक्ष महोदय, आप तो इस सदन के पुराने सदस्य हैं और आपको याद होगा कि गोआ में फौज भेजना पहले से जारी था लेकिन गोआ में फौज नहीं भेजी गई। चुनाव सिर पर आ गया, एक व्यक्ति को विजयी बनाना जरूरी हो गया, तब गोआ में फौज भेजी गई। क्या सभी निर्णय आप राजनीतिक आधार पर करेंगे? कोई नहीं चाहता कि गुरुद्वारों की पवित्रता फिर से स्थापित न हो। कोई नहीं चाहता कि गुरुद्वारों से धन का दुरुपयोग किया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब उसके स्वार्थ पर चोट लगती है, तभी कार्रवाई करती है, यह खेद की बात है।

मुझे खेद है कि श्री महेन्द्र सिंह गिल पंजाब की सारी राजनीति को यहां ले आए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि सरदार गुरनाम सिंह जब मुख्य मंत्री थे तब उनके जमाने में सरदार फेरुमान को शहीद हो जाने दिया गया। आज वही सरदार गुरनाम सिंह कांग्रेस दल के प्यारे हो गए हैं ···

श्री महेन्द्र सिंह गिल : गलत बात है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : उन्हीं को आगे बढ़ा कर अकाली मंत्रिमंडल को तोड़ा जा रहा था। उन्हीं को मुख्य मंत्री बनाने की कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही थी।

श्री महेन्द्र सिंह गिल : बिल्कुल गलत बात है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अगर यह बात गलत है तो राज्यपाल ने जो कुछ किया है वह ठीक किया है।

श्री महेन्द्र सिंह गिल : वह ठीक है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : आपने राज्यपाल के आचरण की आलोचना की है। पंजाब की नई स्थिति भी इसका प्रमाण है कि अगर राज्यपाल का निर्णय कांग्रेस के पक्ष में जाता तो राज्यपाल अच्छे, खिलाफ जाता तो राज्यपाल खराब।

श्री सतपाल कपूर : रंगदार ऐनक लगा कर आए हैं क्या?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मैं ऐनक लगा ही नहीं रहा हूं।

श्री गोखले ने कहा है कि वह इस पर पुनर्विचार करेंगे। जब हमने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट में मैट्रोपोलिटन काउंसिल को अधिकार दे रखे हैं, उस पर एक जिम्मेदारी सौंप रखे हैं कि ट्रांस्फर्ड सबजेक्ट्स के बारे, स्थानांतरित विषयों के बारे में वह अपनी सिफारिशें करे तो क्या उसके सामने अगर फेट एकम्पली प्रिजेंट की जाएगी तो सिफारिशें करने का कोई अर्थ रह सकेगा?

श्री एच० आर० गोखले : और अगर उधर दूसरा फेट एकम्पली हो जाता, तो उसका क्या करते?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मैं इस समय तथ्यों की बात नहीं कर रहा हूं। दिल्ली मेट्रोपालिटन कौंसिल के अधिकार क्या हैं, इसकी चर्चा हो रही है।

विधि मंत्री महोदय ने कहा है कि किसी परिस्थिति में, जब पार्लियामेंट भी सत्र में नहीं है और दिल्ली मेट्रोपालिटन कौंसिल भी सेशन में नहीं है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लेकिन वह भविष्य के लिए कानून की ऐसी व्याख्या न करें, जो दिल्ली मेट्रोपालिटन कौंसिल के अधिकारों को कम कर दे।

SHRI H. R. GOKHALE : Definitely were not.

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अगर सरकार पार्लियामेंट के सामने ऐसा कानून लेकर आयेगी, जिसके बारे में दिल्ली मेट्रोपालिटन कौंसिल

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

विचार कर सकती है, संशोधन दे सकती है, सुझाव दे सकती है, और उस कानून को दिल्ली मेट्रोपालिटन कौंसिल के विचार के लिए नहीं भेजा जायेगा, तो यह पार्लियामेंट के बनाये हुए कानून का हनन होगा। मैं चाहता हूं कि ला मिनिस्ट्री इस मामले में विचार करे। यह इन्टर-प्रेटेशन का सवाल है। आप गुरद्वारों के प्रश्न को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। दिल्ली मेट्रोपालिटन कौंसिल में भारतीय जनसंघ का बहुमत है, इस बात को भी भुला दीजिए। कल कोई और पार्टी वहां आ सकती है। आखिर दिल्ली मेट्रोपालिटन कौंसिल के अधिकार क्या हैं? दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट, 1966 में कहा गया है: "दि मेट्रोपालिटन कौंसिल शैल.....", अर्थात् मेट्रोपालिटन कौंसिल को अधिकार होगा विचार करने का, सिफारिश करने का। राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया, एक फेट एकम्प्ली हो गया, तो मेट्रोपालिटन कौंसिल सिफारिश क्या करेगी? क्या उसकी सिफारिश को सुना जायेगा? क्या उसकी सिफारिश के प्रकाश में मंत्री महोदय इस अध्यादेश में संशोधन करने के लिए तैयार होंगे।

SHRI H. R. GOKHALE : Why not ? We will consider.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : विधि मंत्री महोदय बड़े उदार दिखाई देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बारे में विधि मंत्रालय का दिमाग साफ होना चाहिए। मेट्रोपालिटन कौंसिल के अधिकार सीमित नहीं किये जाने चाहिए। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट, 1966 का क्या इन्टरप्रेटेशन है, इस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए।

विधि मंत्री ने ठीक कहा है कि यूनियन टेरीटरीज की एसेम्बलीज को भी हम यह अधिकार नहीं देते हैं। लेकिन मामला केवल आर्डिनेंस जारी करने के बारे में नहीं है। और भी ऐसे मामले आ सकते हैं, जिनमें पार्लियामेंट कि जल्दी कानून बनाने की जरूरत है और दिल्ली मेट्रोपालिटन कौंसिल को वे विषय भेजे न जायें और उसकी प्रतिक्रिया प्राप्त न की जाय, मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि विधि मंत्री महोदय अपने इस वचन पर कायम रहेंगे कि जल्दी से चुनाव कराये जायेंगे। यह नामजद बोर्ड ज्यादा दिन तक नहीं चलना चाहिए।

विधि मंत्री ने कहा है—और सदस्यों ने भी कहा है कि जो पुराने कानून हैं, उन्हीं के आधार पर हमने यह कानून बनाया है। लेकिन पुराने कानून में बोर्ड के मेम्बरों के बारे में एक शर्त लगाई गई है। दि सिख गुरुद्वाराज एक्ट, 1925 में कहा गया है—मैं उद्धृत कर रहा हूं :

> "A person shall not be nominated or co-opted to be a Member of the Board if he takes alcoholic drinks".

अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है, तो वह बोर्ड का मेम्बर नहीं बनाया जायेगा। इस विधेयक में यह व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? (व्यवधान) ... दरवाजे खोले जा रहे हैं, नियम तोड़े जा रहे हैं, अपने अनुकूल व्यक्तियों को स्थान देने के लिए वातावरण बनाया जा रहा है।

विधि मंत्री ने माना है कि यह एक अस्थायी, टेम्पोरेरी, कानून है। लेकिन जो स्थायी कानून आयेगा, उसमें चुनाव की व्यवस्था होनी चाहिए और परिभाषाओं में ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए जिससे सिख समुदाय को शिकायत हो।

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

> "That this House disapproves of the Delhi Sikh Gurdwaras (Management) Ordinance, 1971 (Ordinance No. 9 of 1971) promulgated by the President on the 20th May, 1971."

The motion was negatived.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is;

"That the Bill to provide for the better management of certain Sikh Gurdwaras and Gurdwara property, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY SPEAKER : Now, we take up clause-by-clause consideration. There are no amendments. I will put all the clauses together. The question is :

"That clauses 2 to 20, clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 20, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI H. R. GOKHALE : I beg to move :

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

14.35 hrs.

MYSORE STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL

MR. DEPUTY SPEAKER : We now take up the next item—The Mysore State Legislature (Delegalion of Powers) Bill.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHSIN) :

On behalf of Shri K. C. Pant, I beg to move :

"That the Bill to confer on the President the power of the Legislature of the State of Mysore to make laws, as passed by Rajya Sabha be taken into consideration."

The House is aware that in the Proclamation dated the 27th March, 1971, in relation to the State of Mysore, the President has declared that the powers of the State Legislature shall be exercised by or under the authority of Parliament. However, in view of the otherwise busy schedule of the two Houses, it would be difficult for Parliament to deal with the various legislative measures that may be necessary in respect of the State. There would be particular difficulty in situations requiring emergent legislation. The Bill, therefore, seeks to confer on the President the power of the State Legislature to make laws in respect of the State.

It has been the normal practice to undertake such legislation in relation to the States under the President's rule and the present Bill is on the usual lines.

Provision has been made for the Constitution of the Consultative Committee, consisting of Members of Parliament, which will be consulted before enacting laws in respect of the State of Mysore. Provision is also being made to empower Parliament to direct modifications in the laws made by the President, if considered necessary.

I request the honourable House to accept the legislative proposal before it and to pass the Bill.

MR. DEPUTY SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill to confer on the President the power of the Legislature of the State of Mysore to make laws, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

*SHRI MANORANJAN HAZRA (Aram bagh) : Mr. Deputy Speaker, Sir, while speaking on the Mysore State Legislature (Delegation of Powers) Bill, 1971, I will say that for the last 20 years in this House there was no arrangement for simultaneous interpretation in English of the speeches that might have been made in Bengali. But in the Fifth Lok Sabha, some Opposition members spoke in Bengali in order that their mother tongue may find an honourable place in this House. Since some arrangement has now been made in this House for simultaneous interpretation in English of the speeches made in Bengali, I offer my thanks

*The original speech was delivered in Bengali.